

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक : 03/स्थानान्तरण/पदस्थापन-04-04/12-----/ रॉची, दिनांक:-----/

**आदेश**

श्री सुरेन्द्र सिंह (आई.डी.-जे 6399), कनीय अभियंता को विभागीय आदेश संख्या-4518 दिनांक 31.08.12 के अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप विभागीय आदेश संख्या-133 दिनांक 10.01.2013 द्वारा निलंबित किया गया था। श्री सिंह से स्थानान्तरण स्थगित करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा उनके निलंबन को निलंबन की तिथि से निरस्त किया जाता है एवं विभागीय आदेश संख्या-4518 दिनांक 31.08.12 क्रमांक-141 में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें मुख्य अभियंता देवघर परिक्षेत्रान्तर्गत सिंचाई प्रमंडल, दुमका में पदस्थापित किया जाता है।

2. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह./-

( मनोज कुमार )

अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक :-

307

रॉची, दिनांक :-

17-1-13

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/ प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, रॉची/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रॉची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर/ राज्य के सभी उपायुक्त/ माननीय उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, रॉची/ संबंधित सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)/ मत्स्य विभाग/ निदेशक, भू-गर्भ जल निदेशालय, रॉची/ प्रबंधक, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., रॉची/ विभागान्तर्गत सभी संयुक्त सचिव/ संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/ संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित सभी कनीय अभियंता/ बायोडाटा कोषांग/ वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशाखा 01, 02 एवं 03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)